

निबंधित

पत्रांक -सं०सं-2/30नि०/प्राधिकार पत्र/03-247/2015.....

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक:- पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अवर निबंधक,  
अवर निबंधन कार्यालय,  
फारबिसगंज, अररिया।

पटना, दिनांक:.....

विषय:- सर्वश्री तबरेज ऑटो वर्क्स, औद्योगिक क्षेत्र, फारबिसगंज को लीज डीड निबंधन हेतु  
स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में छूट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उद्योग विभाग के संकल्प सं० 69।  
दिनांक 09.06.11 द्वारा निर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 की कंडिका-1(क) में निर्दिष्ट  
प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग विभाग के पत्रांक 2516 दिनांक 22.07.11 एवं निबंधन विभाग  
के आदेश संख्या 3216/3217 दिनांक 24.10.11 के आलोक में उपलब्ध कराए गए कागजातों  
के आधार पर समयक विचारोपरंत सर्वश्री तबरेज ऑटो वर्क्स, औद्योगिक क्षेत्र, फारबिसगंज को  
Fabrication Works ईकाई स्थापना हेतु Industrial Plot No.-61(C), Industrial Area, Forbisganj के  
लीज डीड निबंधन पर लगाने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क से शत प्रतिशत छूट अनुमान्य  
की जाती है। ईकाई के विशेष प्रस्ताव पर जिला स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस समिति का  
अनुमोदन प्राप्त है।

कृपया इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने के उपरंत स्टाम्प ड्यूटी/ निबंधन शुल्क  
में छूट की राशि सहित पूर्ण विवरणी के साथ एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना  
सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासमानत,

80/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापक:.....

पटना, दिनांक:.....

प्रतिलिपि:- महासिरीक्षक, निबंधन, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, अररिया/ कार्यकारी  
निदेशक, बिग्राडा, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

80/-

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापक:.....

995

पटना, दिनांक: 28/3/16

प्रतिलिपि:- सर्वश्री तबरेज ऑटो वर्क्स, औद्योगिक क्षेत्र, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर  
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

4.3.16